

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 22, 1981/माघ 2, 1902
No. 38] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1981/MAGHA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1981

का. आ. 48 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपभ्रंश अधिनियम, 1954
(1954 का 37) की धारा 2 के खण्ड (4) के अन्वय में, डा. (श्रीमती) एस. एम.
वाछा के स्थान पर, श्री ए.जी. लखानी को, 14 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1981
(जिसमें ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) तक की अवधि के लिए, केन्द्रीय खाद्य
प्रयोगशाला, पूर्ण के निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त

करती है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 81 (अ), तारीख 8 फरवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, मद 2 के सामने, स्तम्भ (1) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“बी. ए. जी. लखानी।”

[सं. पी 15023/1/81/पी एच (एफ एण्ड एम)/पी एफ ए]
टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1981

S.O. 49(E).—In pursuance of clause (iv) of Section 2 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri A. G. Lakhani to perform all or any of the functions of the Director of the Central Food Laboratory, Pune vice Dr. (Mrs) S. M. Vachha, for the period from 14th January, 1981 to 31st January 1981 (both dates inclusive), and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), No. S.O. 81(E), dated the 8th February, 1978, namely :—

In the Table to the said notification, against item 2, in column (i) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Shri A. G. Lakhani”

[No. P. 15023/1/81-PH(F&N)PFA]

T. V. ANTONI, Jt. Secy.